

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 153/2019

वादीगण

1 माधाराम 2 मालाराम 3 गुमनाराम पिसरान पूनमाराम बनाम जाति कुम्हार निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण

1 पूनमाराम 2 रतनाराम पिसरान देसलाराम 3 बांकाराम 4 लालाराम 5 गजाराम पिसरान पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादी।  
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 23/10/19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 05 स्वर्गीय देसलाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 05 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 623/472 रकबा 118.01 बीघा मौजा हरियाली पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 995/356 रकबा 38.12 बीघा मौजा नारणोगियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 56 रकबा 35.16 बीघा, खसरा संख्या 145/33 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 147/35 रकबा 22.01 बीघा व खसरा संख्या 153/65 रकबा 17.0 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 05 का कब्जा काशत है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 623/472 रकबा 118.01 बीघा मौजा हरियाली पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 995/356 रकबा 38.12 बीघा मौजा नारणोगियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 56 रकबा 35.16 बीघा, खसरा संख्या 145/33 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 147/35 रकबा 22.01 बीघा व खसरा संख्या 153/65 रकबा 17.0 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक



सहायक कलक्टर  
(SDO) बाड़मेर

E:\CNM Barmer\Latit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नहीं है।

वादी संख्या 01 माधाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम का हिस्सा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जामबन्दी सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 623/472 रकबा 118.01 बीघा मौजा हरियाली पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 995/356 रकबा 38.12 बीघा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 56 रकबा 35.16 बीघा, खसरा संख्या 145/33 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 147/35 रकबा 22.01 बीघा व खसरा संख्या 153/65 रकबा 17.0 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम का हिस्सा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक ..... 23/10/18 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं (पदेन) सहायक कलक्टर  
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर  
सहायक बाडमेर  
(S.D.C.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.ए.ए.) अन्तिम डिकरी  
अनवान

वादीगण  
1 माधाराम 2 मालाराम 3 गुमनाराम  
पिसरान पूनमाराम जाति कुम्हार बनाम  
निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा  
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण  
1 पूनमाराम 2 रतनाराम पिसरान देसलाराम  
3 बांकाराम 4 लालाराम 5 गजाराम पिसरान  
पुरखाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोगियों  
की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर  
6 शाखा प्रबन्धक राजस्थान नरुधरा ग्रामीण  
बैंक शाखा भाड़खा बाड़मेर।

दावा बायत् 88 रा.का.अ.  
मुकदमा नम्बर :- 153/2019  
निर्णय दिनांक :- 23/10/19

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 623/472 रकबा 118.01 बीघा मौजा हरियाली पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 995/356 रकबा 38.12 बीघा मौजा नारणोगियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 56 रकबा 35.16 बीघा, खसरा संख्या 145/33 रकबा 48.10 बीघा, खसरा संख्या 147/35 रकबा 22.01 बीघा व खसरा संख्या 153/65 रकबा 17.0 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/12-1/12 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 पूनमाराम का हिस्सा राजस्थान नरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः तहसीलदार बाड़मेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 23/10/19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा

लगानकर दी गई।



(नीरज मिश्र)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
(S.D.O.) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
	जोड़		जोड़

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\PD\PD Abhivan.docx

